

बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में लगेगी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

चर्चा में क्यों?

28 जुलाई, 2022 को बिहार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और इमरजेंसी बटन लगाने का आदेश जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- बिहार के परिवहन विभाग ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिये भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश जारी किया गया है।
- परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनवरी, 2019 से पहले पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में वीएलटीडी तथा इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य हो गया है।
- अगस्त तक सभी प्राइवेट बसों में भी वीएलटीडी एवं इमरजेंसी बटन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये गाड़ियों में लगाए जाने वाले इस उपकरण हेतु तीन एजेंसियों का चयन किया गया है।
- गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने कुछ माह पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था, जहाँ से सार्वजनिक परिवहन की सभी गाड़ियों (बस, कैब, टैक्सी) की मॉनिटरिंग की जाएगी।
- सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली महिलाएँ या लड़कियाँ खतरे को देखते हुए इमरजेंसी बटन दबाएंगी तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा, जिसके बाद तत्काल पुलिस मदद के लिये पहुँचेगी।
- इसके अलावा इमरजेंसी अलर्ट, ओवर स्पीड और उपकरण के साथ छेड़छाड़ या तोड़े जाने पर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अलर्ट प्राप्त होगा। इसकी मदद से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को वाहन की लोकेशन की रियल टाइम जानकारी भी मिलती रहेगी। वाहन मालिक भी इस साफ्टवेयर की मदद से अपने वाहनों की रियल टाइम स्थिति का पता कर सकते हैं।